फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थीगण

1. देवाराम पुत्र श्री चमनाजी
2. प्रकाशराम पुत्र श्री चमनाजी
   जातियान कुम्हार(प्रजापत) निवासीयान गोयली
3. कमला पुत्री श्री चमनाजी पत्नि लालाराम
   जाति कुम्हार (प्रजापत) नि. गोयली हाल रामपुरा
   तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा,
राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 104/2024

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
10–02–25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री धन्नाराम देवासी व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2025/37 दिनांक 14–01–2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार मौजा गोयली राजस्व रेकर्ड संवत् 2070–2074 के खाता संख्या 315 के अनुसार खसरा संख्या 141 रकबा 2.3100 है0 में प्रार्थीगणों की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थीगण की वल्दियत में उनकी माता (गंगा) का नाम दर्ज है जबकि प्रार्थीके पिता का नाम चमनाजी है । प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि ***मौजा गोयली राजस्व रेकर्ड संवत् 2070–2074 के खाता संख्या 315 के खसरा संख्या 141 रकबा 2.3100 है0 में प्रार्थीगण देवाराम पुत्र गंगा, प्रकाशराम पुत्र गंगा व कमला पुत्री गंगा के स्थान पर देवाराम पुत्र चमनाजी, प्रकाशराम पुत्र चमनाजी व कमला पुत्री चमनाजी संशोधन कर*** उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही (राज०)	